न्यायालय— शैलेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक—53/2021

अपराध क्रमांक—76/2021

थाना—कोतवाली रायपुर, जिला—रायपुर छ.ग.

संस्थित दिनांक—30/04/2021

CNR : CGRP01-002332-2021

क.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	निर्णय शीर्षक	02
02	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	02
03	अभियुक्त का विवरण/अभियोजन साक्षियों की सूची	03—04
04	अभियोजन के दस्तावेज	05—07
05	आरोप	07—08
04	स्वीकृत तथ्य	—
05	अभियोजन कहानी	08—11
06	बचाव पक्ष का विवरण	—
07	अभियोजन का तर्क	—
08	बचाव पक्ष का तर्क	—
09	कारण एवं निष्कर्ष	13—39
10	दण्डादेश	41
11	अभिरक्षा की अवधि	—
12	संपत्ति निराकरण संबंधी आदेश	42—43
13	क्षतिपूर्ति आदेश	—
14	धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	44—45
15	सजा वारंट	—
16	निर्णय की प्रतिलिपि	01—45

न्यायालय— शैलेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक—53 / 2021

अपराध क्रमांक—76 / 2021

थाना—कोतवाली रायपुर, जिला—रायपुर छ.ग.

संस्थित दिनांक—30 / 04 / 2021

CNR : CGRP01-002332-2021

छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा — आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली,

रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.) .... **अभियोजन**

/ / विरूद्ध / /

1. **पवन सिंग गोंड, उम्र लगभग 30 वर्ष,**

   आत्मज— श्री सोहन गोंड,

2. **शोभनाथ केंवट, उम्र लगभग 32 वर्ष,**

   आत्मज— श्री अंशधारी केंवट,

दोनों निवासी—ग्राम परासी दुर्गा मंदिर के पास,

थाना मानपुर, जिला उमरिया (मध्यप्रदेश) .... **अभियुक्तगण**

राज्य द्वारा श्रीमती स्वाति शर्मा विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण पवन सिंह गोंड एवं शोभनाथ केंवट सहित सुश्री सरिता कुर्रे अधिवक्ता।

घटना दिनांक	23/03/2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	23/03/2021
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	30/04/2021
आरोप विरचित किये जाने का दिनांक	08/04/2022
विचारण प्रारंभ दिनांक	22/04/2022
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	01/08/2026
निर्णय दिनांक	06/08/2026
दण्डादेश आदेश का दिनांक, यदि हो	06/08/2026

अभियुक्त विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषसिद्धि / दोषमुक्ति	दण्डादेश	न्यायिक अभिरक्षा अवधि
01	पवन सिंग गोंड	23.03.2021	06.08.2021	20(b)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट	**दोषसिद्ध**	**10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/— (अक्षरी एक लाख रूपये मात्र) अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगतायी जावे।**	24.03.2021 से 06.08.2021
02	शोभनाथ केंवट	23.03.2021	06.08.2021	20(b)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट	**दोषसिद्ध**	**10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/— (अक्षरी एक**	24.03.2021 से 06.08.2021

						लाख रूपये मात्र) अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगतायी जावे।	

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.—01	अब्दुल फारूक	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.—02	शिव जाल	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.—03	प्रधान आरक्षक गौतम भोई	मालखाना मोहर्रिर
अ.सा.—04	आरक्षक टीकाराम बंजारे	मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिटी कोतवाली रायपुर में जमा कर पावती प्राप्त करने का साक्षी
अ.सा.—05	आरक्षक परमेश्वर कर्ष	स्वतंत्र साक्षियों को तलब कर थाना उपस्थित होने का साक्षी
अ.सा.—06	आरक्षक मुकेश कुमार साहू	मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक एवं संपूर्ण कार्यवाही की सूचना का प्रतिवेदन प्राप्त कर पावती प्रदान करने का साक्षी
अ.सा.—07	सुशील जायसवाल	तौलकर्ता
अ.सा.—08	प्रधान आरक्षक विवेक तिवारी	सीलबंद सैम्पल पैकेट को एफएसएल कार्यालय रायपुर में जमा कर पावती प्राप्त कर थाना लाकर जमा करने का साक्षी
अ.सा.—09	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मोहम्मद असरार	विवेचना अधिकारी

अभियोजन के दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेज	प्रदर्श
01	स्वतंत्र साक्षियों को धारा 160 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई नोटिस	प्रदर्श पी—1
02	मुखबीर सूचना पंचनामा	प्रदर्श पी—2
03	अभियुक्त पवन सिंग गोंड को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत दी गई नोटिस	प्रदर्श पी—3
04	अभियुक्त पवन सिंग गोंड का सहमति पत्र	प्रदर्श पी—4
05	अभियुक्त पवन सिंग गोंड का सहमति पंचनामा	प्रदर्श पी—5
06	पुलिस पार्टी का तलाशी पंचनामा	प्रदर्श पी—6
07	साक्षियों का तलाशी पंचनामा	प्रदर्श पी—7
08	अभियुक्त पवन सिंग गोंड की जामा तलाशी	प्रदर्श पी—8
09	अभियुक्त पवन सिंग गोंड के कब्जे की प्लास्टिक की बोरी के संबंध में तलाशी पंचनामा/बरामदगी पंचनामा	प्रदर्श पी—9
10	मादक पदार्थ पहचान पंचनामा	प्रदर्श पी—10
11	समरस पंचनामा	प्रदर्श पी—11
12	तुला का भौतिक सत्यापन पंचनामा	प्रदर्श पी—12
13	तौलक का जामा तलाशी	प्रदर्श पी—13
14	तौल पंचनामा	प्रदर्श पी—14
15	गांजा का सैम्पल पंचनामा	प्रदर्श पी—15
16	नमूना सील पंचनामा	प्रदर्श पी—16
17	कार्यवाही के पश्चात पुलिस पार्टी एवं गवाहों का तलाशी पंचनामा	प्रदर्श पी—17
18	अभियुक्त पवन सिंग गोंड से संबंधित जप्ती पत्रक	प्रदर्श पी—18
19	अभियुक्त शोभनाथ केंवट से संबंधित जप्ती पत्रक	प्रदर्श पी—19
20	अभियुक्त पवन सिंग गोंड का कार्यवाही पश्चात पुनः जामा तलाशी पंचनामा	प्रदर्श पी—20
21	अभियुक्तगण को दी गई गिरफ्तारी के कारणों की सूचना	प्रदर्श पी—21
22	अभियुक्त पवन सिंग गोंड का गिरफ्तारी पत्रक	प्रदर्श पी.—22
23	अभियुक्त शोभनाथ केंवट का गिरफ्तारी पत्रक	प्रदर्श पी—23
24	साक्षी अब्दुल फारूक का पुलिस कथन	प्रदर्श पी—24

25	साक्षी शिव जाल का पुलिस कथन	प्रदर्श पी–25
26	जप्ती माल सुपुर्दनामा पावती	प्रदर्श पी–26
27	जप्ती माल रजिस्टर	प्रदर्श पी–27 सी
28	आरक्षक टीकाराम बंजारे को मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक सी.एस.पी. कार्यालय सिटी कोतवाली रायपुर में जमा कर पावती प्राप्त कर थाना आकर जमा करने के संबंध में दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी–28
29	आरक्षक परमेश्वर कर्ष को स्वतंत्र साक्षियों को तलब कर थाना में उपस्थित रहने के संबंध में दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी–29
30	मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक मय पावती	प्रदर्श पी–30
31	संपूर्ण कार्यवाही की सूचना मय पावती	प्रदर्श पी–31
32	तौलकर्ता को धारा 160 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई नोटिस	प्रदर्श पी–32
33	तौलकर्ता सुशील जायसवाल का पुलिस कथन	प्रदर्श पी–33
34	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा के रासायनिक परीक्षण कराने हेतु तैयार किया गया ड्राफ्ट	प्रदर्श पी–34
35	प्रदर्श प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–35
36	आरक्षक क्र. 1755 विवेक निराला को एफएसएल कार्यालय रायपुर में सैम्पल पैकेट जमा कर पावती प्राप्त कर थाना में जमा करने के संबंध में दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी–36
37	विवेचना अधिकारी को मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर उक्त सूचना की तस्दीक हेतु गवाह तलब करने के संबंध में दर्ज रोजनामचा सान्हा की प्रति	प्रदर्श पी–37 सी
38	आरक्षक परमेश्वर कर्ष को मुखबीर सूचना तस्दीक हेतु गवाह तलब कर लाये जाने के संबंध में दर्ज रवानगी रोजनामचा सान्हा की प्रति	प्रदर्श पी–38 सी
39	आरक्षक परमेश्वर कर्ष द्वारा गवाह अब्दुल फारूक एवं शिव जाल को तलब कर थाना लाने के संबंध में दर्ज वापसी रोजनामचा सान्हा की प्रति	प्रदर्श पी–39 सी
40	अवैध रूप से गांजा मिलने की सूचना तथा तलाशी कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित होने बाबत् नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र	प्रदर्श पी–40
41	मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली रायपुर को प्रेषित किये जाने के संबंध में आरक्षक की रवानगी के संबंध में दर्ज रोजनामचा सान्हा की प्रति	प्रदर्श पी–41 सी
42	मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक	प्रदर्श पी–42 सी

	सिटी कोतवाली रायपुर में जमा कर पावती प्राप्त कर थाना लाकर जमा किये जाने के संबंध में आरक्षक की आमदगी के संबंध में दर्ज रोजनामचा सान्हा की प्रति	
43	रेड की कार्यवाही हेतु घटना स्थल के लिए रवाना होने के संबंध में दर्ज रोजनामचा सान्हा की प्रति	प्रदर्श पी—43 सी
44	अभियुक्तगण को वैध दस्तावेज पेश करने हेतु दी गई धारा 91 दं.प्र.सं. के अंतर्गत नोटिस	प्रदर्श पी—44
45	अभियुक्त शोभनाथ केंवट के परिजन को दी गई अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना	प्रदर्श पी—45
46	अभियुक्त पवन सिंग गोंड के परिजन को दी गई अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना	प्रदर्श पी—46
47	घटना स्थल का नजरी नक्शा	प्रदर्श पी—47
48	देहाती नालिसी	प्रदर्श पी—48
49	संपूर्ण कार्यवाही के उपरांत थाना वापस आने के संबंध में दर्ज रोजनामचा सान्हा की प्रति	प्रदर्श पी—49 सी
50	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी—50
51	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा दिया गया प्रतिवेदन	प्रदर्श पी—51
52	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा दिया गया परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श पी—52
53	तहसीलदार रायपुर को घटना स्थल का पटवारी के माध्यम से नक्शा बनाने के संबंध में दिया आवेदन	प्रदर्श पी—53

// निर्णय //

{दिनांक 06/08/2026 को घोषित}

01—अभियुक्तगण **पवन सिंह गोंड** एवं **शोभनाथ केंवट** के विरूद्ध **धारा—20(b)(ii)(B) स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,**

1985 (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिसे आगे निर्णय में **''अधिनियम''** से संबोधित किया जाएगा, के अन्तर्गत यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक **23/03/2021** को **समय 20:10 बजे** या उसके लगभग स्थान **पुलिस लाईन, धमतरी गेट शराब भट्ठी के पास नेहरू नगर, रोड किनारे पीपल झाड़ के पास,** अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर छ.ग. में एक साथ मिलकर अधिनियम के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गए नियम एवं आदेश के उल्लंघन में **मोटर सायकल होण्डा शाईन कमांक एम.पी.54/एम.सी./9550** में कुल **15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा** को विकय करने हेतु अपने कब्जे में रखा।

02–अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2021 को सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद असरार अली को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस लाईन धमतरी गेट के आस–पास शराब भट्ठी की ओर 2 व्यक्ति नीले रंग की होंडा मोटर सायकल शाईन कमांक एम.पी.54/एम.सी./9550 में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने शराब भट्ठी के पास पीपल झाड़ के पास खड़े है जो काफी मात्रा में गांजा लाये है तथा किसी को सप्लाई करने के इंतजार में है, उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर आरक्षक को निर्देशित किये जाने पर आरक्षक द्वारा दो स्वतंत्र साक्षियों को लेकर थाना उपस्थित होने पर

गवाहों को मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुए गवाहों को नोटिस देकर मुखबीर सूचना की तसदीक एवं अग्रिम कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने गवाहों की सहमति लिया जाकर साक्षियों के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक तैयार कर इसकी सूचना कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली रायपुर को प्रेषित किया गया।

03–अभियोजन का यह भी मामला है कि विवेचना अधिकारी मय हमराह स्टॉफ, गवाहों, विवेचना कीट सहित कार्यवाही के लिये मुखबीर के द्वारा बताये अनुसार घटना स्थल रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर मुखबीर के बताये अनुसार दो व्यक्ति पकड़कर पूछताछ किया गया जिस पर चालक ने अपना नाम शोभनाथ एवं पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पवन सिंग गोंड बताया। अभियुक्तगण को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस दिया गया जिस पर अभियुक्तगण द्वारा अपनी तलाशी विवेचना अधिकारी से कराने हेतु सहमति दिये जाने पर अभियुक्तगण से स्वयं, उपस्थित पुलिस स्टॉफ तथा साक्षियों की जामा तलाशी कराया जाकर पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें कोई आपत्तिजनक मादक पदार्थ नहीं मिला।

04–अभियोजन के मामले के अनुसार विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे की प्लास्टिक बोरी की बरामदगी किये जाने पर मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ प्रतीत होने पर तौलकर्ता को आहुत कर तुला का भौतिक सत्यापन कराया जाकर तौल पंचनामा तैयार किया गया जिसके आधार पर जप्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा 15.500 किलोग्राम होना पाया गया जिसके संबंध में मादक पदार्थ पहचान पंचनामा तैयार कर बरामदशुदा मादक पदार्थ गांजा का समरस की कार्यवाही कर समरस पंचनामा तैयार कर एफएसएल परीक्षण हेतु 50–50 ग्राम के दो सैम्पल पैकेट तैयार कर सीलबंद किया जाकर जप्त किया गया था और जिस सील से सीलबंद किया गया था उसके संबंध में सील नमूना पंचनामा तैयार किया गया था।

05–अभियोजन के मामले के अनुसार अभियुक्तगण को जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये जाने पर किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारणों व आधारों से अवगत कराते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को प्रदान किया जाकर मौके पर ही घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 बी

के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मय अभियुक्तगण, जप्तशुदा मादक पदार्थ व हमराह स्टॉफ के साथ वापस आकर जप्तशुदा मादक पदार्थ व तैयार किये गये सैम्पल पैकेट को मालखाना मोहर्रिर को सुपुर्द कर जप्ती माल सुपुर्दनामा पावती प्राप्त किया गया।

06–अभियोजन के मामले के अनुसार विवेचना अधिकारी के द्वारा देहाती नालिसी के आधार पर थाना सिटी कोतवाली रायपुर के अपराध क्रमांक 76 / 2021 अंतर्गत अधिनियम की धारा 20 बी के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तैयार किये गए सैम्पल पैकेट को एफएसएल परीक्षण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया था। साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर पटवारी के माध्यम से घटना स्थल का पटवारी नक्शा तैयार कर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20बी के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

07–अभिलेख के परिशीलन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्तगण के द्वारा प्रथम दृष्टया **अधिनियम की धारा–20(b)(ii)(B)**

के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना पाये जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण की मांग किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् उन्हीं के शब्दों में अंकित किया गया। अभियुक्तगण का धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अभियुक्त परीक्षण लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया गया जिसके आधार पर बचाव पक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त घोषित किया गया।

08–प्रकरण के उचित निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :–

(1)क्या विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद असरार अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रकरण में विवेचना करने हेतु सक्षम एवं सशक्त प्राधिकारी है ?

(2)क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23/03/2021 को समय 20:10 बजे या उसके लगभग स्थान पुलिस लाईन, धमतरी गेट शराब

भट्ठी के पास नेहरू नगर, रोड किनारे पीपल झाड़ के पास, अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली, जिला रायपुर छ.ग. में एक साथ मिलकर अधिनियम के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गए नियम एवं आदेश के उल्लंघन में मोटर सायकल होण्डा शाईन कमांक एम.पी.54/एम.सी./9550 में कुल 15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को विकय करने हेतु अपने कब्जे में रखा ?

// साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष //

विचारणीय प्रश्न कमांक–1 पर सकारण निष्कर्ष एवं उसके आधार :–

09–विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद असरार (अ.सा. –09) ने अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय का अभिकथन किया है कि वह वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक थाना सिटी कोतवाली रायपुर जिला–रायपुर छ.ग. में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। **विवेचना अधिकारी मोहम्मद असरार,** थाना–सिटी कोतवाली रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही किया है, जिसे बचाव पक्ष द्वारा विवादित भी नहीं किया गया है। अतः सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद

असरार के द्वारा प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही किये जाने का तथ्य साबित पाया जाता है।

10–राज्य सरकार ने Notification F. No. B-6-35-V-SR-85-4801, Dated 11th November, 1985 **द्वारा धारा 41 की उपधारा 2 के तहत तथा** Notification F. No. B-6-35-V-SR-85-4804, Dated 11th November, 1985 द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 1 के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को उपरोक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के अंदर कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नानुसार है :–

1. आबकारी विभाग ....
2. पुलिस विभाग
   - (i) पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
   - (ii) उप पुलिस अधीक्षक
   - (iii) सहायक पुलिस अधीक्षक
   - (iv) निरीक्षक
   - (v) उप निरीक्षक

(vi) सहायक उप निरीक्षक

3. राजस्व विभाग ....

4. औषधि विभाग ....

11–उक्त अधिसूचना से दर्शित है कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के सहायक उपनिरीक्षक को भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में कार्यवाही करने हेतु उनके थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्राधिकृत किया है। इस प्रकरण में सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद असरार ने अपने थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत **पुलिस लाईन धमतरी गेट शराब भट्ठी के पास, नेहरू नगर, रोड किनारे पीपल झाड़ के पास अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली रायपुर जिला–रायपुर छ.ग.** में अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया है। इस प्रकार **मोहम्मद असरार** (अ.सा.–09) सहायक उपनिरीक्षक, थाना–सिटी कोतवाली रायपुर, जिला–रायपुर छ.ग. द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण में अनुसंधान कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत/सक्षम अधिकारी है। अतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1** पर निष्कर्ष **''साबित''** में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक—2 पर सकारण निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

12—इस मामले में यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस प्रकरण में परीक्षित स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही के साक्षी **अब्दुल फारूक** (अ.सा.—01) एवं **शिव जाल** (अ.सा.—02) का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है, परन्तु इन साक्षियों ने **प्र.पी.—01** से **प्र.पी.—23** तक के दस्तावेजों पर केवल अपना—अपना हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए शेष कार्यवाहियों एवं अपने—अपने पुलिस कथनों कमशः **प्र0पी0—24** एवं **प्र0पी0—25** से पूर्णतः इंकार किया है।

13—इसी प्रकार तौलकर्ता **सुशील जायसवाल** (अ.सा.—07) के द्वारा भी अभियुक्तगण को जानने पहचानने से इंकार करते हुए तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा **प्रदर्श पी. 12,** तौलक का जामा तलाशी **प्रदर्श पी. 13,** तौल पंचनामा **प्रदर्श पी. 14** एवं नोटिस **प्रदर्श पी. 32** में केवल अपना हस्ताक्षर होना ही स्वीकार करते हुए सभी कार्यवाहियों व अपने पुलिस कथन **प्रदर्श पी. 33** से इंकार किया गया है।

14–इन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी इनके साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन को किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता हो, बल्कि इसके विपरीत इन साक्षियों ने अभियुक्तगण को पहचानने से ही इंकार करते हुए विवेचना अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इन साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और **प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों एवं तौलकर्ता के कथनों से साबित नहीं है।**

15–अब इस प्रकरण में केवल विवेचना अधिकारी एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों के कथन ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार के मामलों में एकमात्र विवेचना अधिकारी के कथनों पर विश्वास किया जाकर किसी भी अभियुक्तगण सिद्धदोष ठहराया जा सकता है, यदि साक्ष्य से यह परिलक्षित होता हो कि विवेचना की कार्यवाही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तथा विवेचना की कार्यवाही निष्पक्षतापूर्वक की गयी है। केवल कुछ तकनीकी त्रुटियों एवं विसंगतियों के आधार पर ही सम्पूर्ण विवेचना की कार्यवाही को त्यक्त नहीं किया जा सकता है।

16–इस संबंध में <u>माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त</u> <u>**''हीरालाल बनाम छ.ग. राज्य'' 2014 (3) सी.जी.एल.जे. पेज क्रमांक 575**</u> अवलोकनीय है, जिसमें माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षी के पक्षविरोधी हो जाने के पश्चात् पुलिस साक्षियों के साक्ष्य के संबंध में <u>माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **Anil alias Andya Sadashiv Nandoskar Vs State of Maharashtra (1996) 2 एस.सी.सी. 589**</u> एवं <u>**P.P. Beeran Vs State of Kerala AIR 2001 SC 2420**</u> का अवलम्ब लेते हुये यह अवलोकित किया है कि :–

> "That testimony of police officials are not liable to be discarded merely because they are police officials, However their evidence should be carefully scrutinized and independently appreciated. The Apex Court further held that witnesses being police officers do not by itself create a doubt about their creditworthiness if non-examination of Panch witnesses is explained satisfactorily."

Placing reliance on Apex Courts verdict in **Pramod Kumar Vs State (NCT) Delhi AIR** 2013 **SC** 3344 , Hon'ble High Court of Chhattisgarh in **Mohan vs. State Of C.G. ILR** 2020 **C.G.** 202 has observed - Reliable testimony of police personnel can be acted upon even though independent witness turned hostile.

17—माननीय शीर्षस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने की स्थिति में भी पुलिस अधिकारियों के विश्वसनीय साक्ष्य पर कार्यवाही की जा सकती है। अतः बचाव पक्ष के द्वारा विवेचना की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा नहीं किये जाने से अभियोजन के सम्पूर्ण मामले को सन्देहास्पद हो जाने के संबंध में लिया गया आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है, **बल्कि इसकी विवेचना आगे अपेक्षित है।**

18—विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद असरार (अ.सा.—09) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि दिनांक 23.03.2021 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस लाईन धमतरी रोड के आसपास शराब भट्ठी की ओर दो व्यक्ति जो बाहर के हैं **नीले रंग की होण्डा मोटर सायकल साईन क्रमांक एम.पी.—54—एम.सी.—9550** में पुलिस पेट्रोल पम्प के सामने शराब भट्ठी के पास पीपल झाड़ के आड़ में खड़े हैं **काफी मात्रा में गांजा लाए हैं किसी को सप्लाई करने के इंतजार में हैं,** उक्त सूचना से थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ

अधिकारी को अवगत कराकर रोजनामचा सान्हा क्र. 41 दिनांक 23.03.2021 समय 15:30 बजे दर्ज किया गया है जो **प्रदर्श पी. 37** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी. 37 सी.** है।

19—विवेचना अधिकारी के द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि इसने थाने में उपस्थित आरक्षक क्र. 2674 परमेश्वर कर्ष को मुखबीर सूचना से मौखिक रूप से अवगत कराकर दो स्वतंत्र गवाहों को तलब किये जाने हेतु रवाना किया था जिसके संबंध में आरक्षक की रवानगी सान्हा क्रमांक 42 में दर्ज किया गया है जो **प्रदर्श पी—38** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी—38 सी** है। आरक्षक द्वारा दो स्वतंत्र गवाह अब्दुल फारूक एवं शिव जाल को लेकर थाने वापस आया था जिसके संबंध में आरक्षक की वापसी सान्हा क्र. 43 में दर्ज किया गया है जो **प्रदर्श पी. 39** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी. 39 सी.** है। विवेचना अधिकारी की इस कार्यवाही का समर्थन **आरक्षक परमेश्वर कर्ष** (अ.सा.—05) के द्वारा भी किया गया है जिसके संबंध में इस साक्षी को कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 29** प्रदान किया गया था।

20—विवेचना अधिकारी के द्वारा आगे यह भी कथन किया गया है कि इसने गवाहों को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही में

सहयोग करने हेतु धारा 160 दं.प्र.सं. की नोटिस **प्रदर्श पी. 1** देकर सहमति प्राप्त कर मुखबीर सूचना पंचनामा **प्रदर्श पी. 2** तैयार कर नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली को मौके पर उपस्थित होने हेतु आवेदन **प्रदर्श पी. 40** लिखा था। इसने आरक्षक क्र. 2080 टीकाराम बंजारे को मुखबीर सूचना पंचनामा का डाक देकर नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली को देकर पावती लाने हेतु निर्देशित किया था, आरक्षक की रवानगी रोजनामचा सान्हा क्र. 44 में दर्ज किया गया है जो **प्रदर्श पी. 41** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी. 41 सी.** है।

21–विवेचना अधिकारी के द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि आरक्षक द्वारा डाक देकर पावती प्राप्त कर थाना वापस आया था, आरक्षक की वापसी सान्हा क्रमांक 45 में दर्ज किया गया है जो **प्रदर्श पी. 42** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी–42 सी** है। आरक्षक द्वारा बताया गया कि सी.एस.पी. कार्यालय में उपस्थित नहीं थे उन्होंने रेड कार्यवाही हेतु अग्रसर होने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके द्वारा जरिए मोबाईल सीएसपी से बातचीत कर निर्देश प्राप्त होने पर रेड कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था।

22–विवेचना अधिकारी की इस कार्यवाही का समर्थन **आरक्षक टीकाराम बंजारे** (अ.सा.–04) एवं **आरक्षक मुकेश कुमार साहू** (अ.सा.–06) के कथनों से भी होता है जिसके संबंध में आरक्षक टीकाराम बंजारे को कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 28** प्रदान किया गया था और आरक्षक मुकेश कुमार साहू द्वारा मुखबीर सूचना पंचनामा, अपराध होने की सूचना एवं तलाशी कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज प्राप्त कर पावती **प्रदर्श पी. 30** प्रदान किया गया था जिसके ब से ब भाग पर कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली रायपुर की सील अंकित है।

23–बचाव पक्ष के द्वारा विवेचना अधिकारी एवं आरक्षक टीकाराम बंजारे व आरक्षक मुकेश कुमार साहू का अधिनियम की धारा 42 के संबंध में प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। विवेचना अधिकारी के द्वारा मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर मुखबीर सूचना, अपराध प्राप्त होने की सूचना की सूचना लेखबद्ध कर नगर पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही हेतु उपस्थित रहने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु नगर पुलिस अधीक्षक के अन्य ड्यूटी कार्य में व्यस्त होने के कारण मुखबीर सूचना की जानकारी रीडर के माध्यम से नगर पुलिस अधीक्षक को प्रदान किया गया था जिसके संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना की कार्यवाही हेतु अग्रसर होने निर्देशित किये जाने पर आरक्षक द्वारा

इसकी जानकारी विवेचना अधिकारी को प्रदान किया गया था जिसके पश्चात ही विवेचना अधिकारी कार्यवाही के लिए अग्रसर हुआ था।

24–इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अंतर्गत मुखबीर सूचना पंचनामा, अपराध प्राप्त होने की सूचना की सूचना, नगर पुलिस अधीक्षक को मौके पर उपस्थित रहने के संबंध में कारणों को लेखबद्ध कर कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली रायपुर को डाक प्रदान कर नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरांत ही विवेचना अधिकारी रेड की कार्यवाही हेतु अग्रसर हुआ था जिससे स्पष्ट है कि **अधिनियम की धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है।**

25–विवेचना अधिकारी के द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि रेड कार्यवाही हेतु हमराह स्टॉफ आरक्षक क. 514 प्रशांत शुक्ला आरक्षक क. 13 शैलेश नेताम, आरक्षक क. 1273 रमाकांत शुक्ला एवं गवाहों के साथ मय विवेचना कीट, मोटर सायकल से आवश्यक दस्तावेज, सील चपड़ा के साथ रेड स्थल के लिए रवाना हुआ था जिसके संबंध में रवानगी रोजनामचा सान्हा क. 46 में दर्ज किया गया

है जो **प्रदर्श पी. 43** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी. 43 सी.** है। रेड स्थल पहुंचकर देखा कि शराब भट्ठी के पहले पीपल झाड़ के आड़ में एक व्यक्ति नीले रंग के **मोटर सायकल होण्डा साईन क्रमांक एम.पी.—54—एम.सी.—9550** को लेकर खड़ा था उसके पीछे एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी पकड़कर बैठा हुआ था जो पुलिस को देखकर गाड़ी स्टार्ट कर भागने वाला था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनका नाम पता पूछने पर **चालक ने अपना नाम शोभनाथ** एवं **पीछे बोरी पकड़ा व्यक्ति ने अपना नाम पवन सिंह गोंड** बताया था।

26—विवेचना अधिकारी के द्वारा संदेहीगण को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस **प्रदर्श पी. 3** देकर उनके वैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी से अवगत कराया गया कि वे अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, जिसके संबंध में संदेहीगण से सहमति **प्रदर्श पी. 4** प्राप्त कर सहमति पंचनामा **प्रदर्श पी. 5** तैयार किया गया था। संदेहीगण द्वारा इसने अपने स्वयं, पुलिस स्टॉफ, वाहन एवं साक्षियों की तलाशी करायी थी जिस पर कोई आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुआ, स्वयं, पुलिस स्टॉफ, वाहन एवं साक्षियों की तलाशी पंचनामा क्रमशः **प्रदर्श पी. 6** एवं **प्रदर्श पी. 7** है।

27—विवेचना अधिकारी के द्वारा संदेहीगण के संयुक्त कब्जे से सफेद प्लास्टिक की बोरी की तलाशी लेने पर बोरी के अंदर गांजा जैसा पदार्थ मिला था जिसके संबंध में तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी—8** तैयार कर संदेहीगण के कब्जे के तलाशी के दौरान प्राप्त सफेद रंग की बोरी को गवाहों के समक्ष बरामद कर मादक पदार्थ बरामदगी पंचनामा **प्रदर्श पी. 9** तैयार कर अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मादक पदार्थ को गवाहों के समक्ष देखकर, सूंघकर, जलाकर गांजा के रूप में पहचान कर मादक द्रव्य पहचान पंचनामा **प्रदर्श पी. 10** तैयार किया गया।

28—इस मामले में **अभियुक्त शोभनाथ केंवट के द्वारा वाहन कमांक एम. पी.54/एम.सी./9550 को चलाया जा रहा था जिसके पीछे अभियुक्त पवन सिंग गोंड प्लास्टिक की बोरी रखकर सवार था।** विवेचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अभियुक्त पवन सिंग गोंड को ही नोटिस देकर अभियुक्त पवन सिंग से ही सहमति प्राप्त किया गया है और अभियुक्त शोभनाथ को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत कोई नोटिस नहीं दिया गया है परंतु अभियुक्त शोभनाथ के शरीर की न ही तलाशी ली गई है और न ही उसके पास रखे सामान की तलाशी ली गई है जिसके कारण अभियुक्त शोभनाथ को

अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस नहीं दिये जाने पर विवेचना की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

29—इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्त पवन सिंग गोंड को स्वयं से तलाशी देने के संबंध में विकल्प प्रदान किया गया है जो विधि के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है परंतु इस मामले में अभियुक्त पवन सिंग गोंड की शरीर की तलाशी नहीं ली गई है बल्कि अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे की प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली गई है जिसमें मादक पदार्थ गांजा रखा होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में इस मामले में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक ही नहीं था और यदि इसका पालन किये जाने में कोई त्रुटि हुई भी है तो इसका कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

30—इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टान्त **"State Of H.P. Vs. Pawan Kumar" AIR 2005 SC 2265** अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि बैग, ब्रीफकेस या इसी प्रकार की कोई वस्तु या कन्टेनर आदि को

अधिनियम की धारा 50 के प्रयोजन हेतु किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के शरीर का भाग नहीं माना जा सकता।

Hon'ble Supreme Court in **State Of H.P. Vs. Pawan Kumar" AIR 2005 SC 2265** has observed :

> 10. A bag, briefcase or any such article or container, etc. can, under no circumstances, be treated as body of a human being. They are given a separate name and are identifiable as such. They cannot even remotely be treated to be part of the body of a human being. Depending upon the physical capacity of a person, he may carry any number of items like a bag, a briefcase, a suitcase, a tin box, a thaila, a jhola, a gathri, a holdall, a carton, etc. of varying size, dimension or weight. However, while carrying or moving along with them, some extra effort or energy would be required. They would have to be carried either by the hand or

> hung on the shoulder or back or placed on the head. In common parlance it would be said that a person is carrying a particular article, specifying the manner in which it was carried like hand, shoulder, back or head, etc. Therefore, it is not possible to include these articles within the ambit of the word "person" occurring in Section 50 of the Act.

31–विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मादक पदार्थ गांजा की तौल कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित आरक्षक को तराजू बांट सहित तौलकर्ता को रेड स्थल लाए जाने हेतु निर्देशित करने पर आरक्षक द्वारा इलेक्ट्रानिक तराजू सहित तौलकर्ता सुशील जायसवाल को लेकर रेड स्थल आया था। इसके द्वारा तौलकर्ता को धारा 160 दं.प्र.सं. की नोटिस **प्रदर्श पी. 32** देकर अभियुक्तगण से बरामद मादक पदार्थ गांजा को समरस कर समरस पंचनामा **प्रदर्श पी–11** तैयार कर इलेट्रानिक तराजू का भौतिक सत्यापन कर भौतिक सत्यापन पंचनामा **प्रदर्श पी. 12** तैयार किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा तौलक सुशील जायसवाल की गवाहों के समक्ष

जामा तलाशी करवायी थी जिस पर कोई आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुआ था। तौलक का जामा तलाशी **प्रदर्श पी—13** है।

32—विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण से बरामद मादक पदार्थ गांजा का तौल तौलकर्ता से कराये जाने पर **कुल वजन 15 किलो 500 ग्राम पाया गया,** जिसमें से **50—50 ग्राम** अलग से निकालकर प्लास्टिक डिब्बा में सीलबंद कर गवाहों के समक्ष मादक द्रव्य तौल पंचनामा **प्रदर्श पी. 14** तैयार कर अभियुक्तगण को अपने आधिपत्य में रखे मादक पदार्थ गांजा के संबंध में वैध दस्तावेज / अनुज्ञप्ति पत्र / परिवहन करने हेतु धारा 91 दं.प्र.सं. के अंतर्गत नोटिस **प्रदर्श पी. 44** प्रदान किया गया था। इसने अभियुक्तगण से बरामद मादक पदार्थ गांजा के तौल कार्यवाही के दौरान निकाले गए **50—50 ग्राम** के **दो सैम्पल पैकेट** को **प्रदर्श ए** एवं **प्रदर्श ए 1** से चिन्हांकित कर सैम्पल पंचनामा **प्रदर्श पी. 15** तैयार किया था।

33—विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण से बरामद मादक पदार्थ को जिस सील से सीलबंद किया गया था उसके संबंध में गवाहों के समक्ष नमूना सील पंचनामा **प्रदर्श पी—16** तैयार कर कार्यवाही के पश्चात् पुनः अभियुक्तगण से पुलिस पार्टी एवं साक्षियों की तलाशी

करायी गयी थी जो क्रमशः **प्रदर्श पी—17** एवं **प्रदर्श पी—20** है। इसने अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मादक पदार्थ गांजा एवं मोटर सायकल क्रमांक एम.पी.—54—एम.सी.—9550 को जप्त कर जप्ती पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी. 18** एवं **प्रदर्श पी. 19** तैयार किया था।

34—इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी के द्वारा स्वयं ही मौके पर समरस पंचनामा की कार्यवाही करते हुए सैम्पल पैकेट तैयार कर इन्वेंट्री की कार्यवाही के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जप्तशुदा मादक पदार्थ को प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु इस प्रकार के मामलों में केवल अधिनियम की धारा 52(क)2 के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के आधार पर ही संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही को त्यक्त नहीं किया जा सकता है यदि साक्ष्य से यह पूर्णतः स्पष्ट हो कि विवेचना अधिकारी के द्वारा अन्य आज्ञापक एवं निदेशात्मक प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए पूर्वाग्रह से रहित होकर निष्पक्षतापूर्वक विवेचना की कार्यवाही किया गया है। अधिनियम की धारा 52क(2) के प्रावधान का अपालन मात्र से ही अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने के पात्र नहीं हो जाते हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भरत अंबाले विरूद्ध छ.ग. राज्य (2025) 8 एस.सी.सी. 452** में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है।

35–विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए गिरफ्तारी के कारणों की सूचना पत्र **प्रदर्श पी. 21** तैयार कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी. 22** एवं **23** तैयार कर अभियुक्तगण के गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी थी जो क्रमशः **प्रदर्श पी. 45** एवं **प्रदर्श पी. 46** है। विवेचना अधिकारी की इस कार्यवाही का खंडन बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारणों व आधारों की सूचना देकर विधिवत् गिरफ्तार कर अभियुक्तगण के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना प्रदान किया गया है जिससे यह तथ्य साबित पाया जाता है कि **विवेचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 52 के निदेशात्मक प्रावधान का पूर्णतः पालन किया गया है।**

36–विवेचना अधिकारी के द्वारा मौके पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध देहाती नालिसी **प्रदर्श पी. 48** दर्ज करने के पश्चात उपरोक्त कार्यवाही कर माल, गवाह, अभियुक्तगण एवं हमराह स्टॉफ के साथ थाना वापस आया था जिसके संबंध में रोजनामचा सान्हा क्र. 36 में दर्ज किया गया है जो **प्रदर्श पी. 49** है जिसकी प्रति **प्रदर्श पी. 49 सी** है। थाना वापस

आकर थाना प्रभारी को सूचित कर **थाना सिटी कोतवाली रायपुर** के **अपराध क्र. 76/2021** अंतर्गत **अधिनियम की धारा 20 बी** के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी. 50** दर्ज कर जप्तशुदा माल को थाना प्रभारी को परिदत्त कर उनके मौखिक निर्देशानुसार मालखाना में सुरक्षार्थ रखे जाने हेतु प्रधान आरक्षक/माल मुंशी को सौंप कर जप्ती माल सुपुर्दनामा पावती प्राप्त किया जो **प्रदर्श पी. 26** है।

37–प्रधान आरक्षक गौतम भोई (अ.सा.–03) के द्वारा भी विवेचना अधिकारी की इस कार्यवाही का समर्थन करते हुए इस आशय का कथन किया गया है कि दिनांक 23.03.2021 को विवेचना अधिकारी के द्वारा थाना लाकर पेश करने पर अभियुक्तगण के कब्जे से जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा सीलबंद हालत में कुल 15.500 किलोग्राम मय 50–50 ग्राम के दो सैम्पल पैकेट को मालखाने में सुरक्षार्थ रखे जाने हेतु इसे प्रदान किये जाने पर इसने माल को प्राप्त कर जप्ती माल सुपुर्दनामा पावती **प्रदर्श पी. 26** प्रदान किया था। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा मौके पर जप्तशुदा मादक पदार्थ एवं समरस पंचनामा की कार्यवाही के पश्चात तैयार किये गए सैम्पल पैकेट को

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने की पुष्टि प्रधान आरक्षक के कथनों, जप्ती माल रजिस्टर, जप्ती माल सुपुर्दनामा पावती से भी होती है।

38–विवेचना अधिकारी के द्वारा मौके पर निकाले गए दो सैम्पल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट के साथ आरक्षक क्रमांक 1755 विवेक निराला के द्वारा एफएसएल कार्यालय परीक्षण हेतु भेजवाया गया था। पुलिस अधीक्षक का ड्राफ्ट **प्रदर्श पी. 34**, आरक्षक द्वारा सैम्पल जमा कर लाया गया पावती **प्रदर्श पी. 35** है। परीक्षण उपरांत मय प्रतिवेदन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुआ, प्रतिवेदन **प्रदर्श पी. 51** एवं रिपोर्ट **प्रदर्श पी. 52** है। **परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार गांजा के परीक्षण धनात्मक पाए गए एवं सभी प्रदर्शों में गांजा पाए गए।**

39–प्रधान आरक्षक गौतम भोई के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि दिनांक 25.03.2021 को आरक्षक क्र. 1755 विवेक निराला को दो सीलबंद सैम्पल पैकेट को रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल कार्यालय में जमा करने हेतु थाना प्रभारी के निर्देश पर प्रदान किया गया था जिसे उक्त आरक्षक द्वारा एफएसएल कार्यालय रायपुर जमा कर पावती लाकर जमा किया गया था जिसके संबंध में इसके द्वारा जप्ती माल रजिस्टर के सरल क्रमांक 34/21 दिनांक 25.03.2021 में

इंद्राज किया गया है जिसकी पुष्टि न केवल जप्ती माल रजिस्टर से बल्कि **प्रधान आरक्षक विवेक तिवारी** (अ.सा.–08) के कथनों से भी होती है जिसे इस कार्य हेतु कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 36** प्रदान किया गया था।

40–मालखाना मोहर्रिर/प्रधान आरक्षक के द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया गया है कि प्रकरण में सैम्पल पैकेट को छोड़कर शेष मादक पदार्थ को न्यायालय की अनुमति के पश्चात व्ययन कमेटी के द्वारा नष्ट किया जा चुका है जिसके संबंध में उसके द्वारा नष्टीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार इस साक्षी के द्वारा सैम्पल पैकेट को एफएसएल परीक्षण उपरांत प्राप्त होने पर साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा कमशः **आर्टिकल एच–1** एवं **आर्टिकल एच–2** से चिन्हांकित किया गया था जिनकी **सील इंटेक्ट पायी गई थी।**

41–प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट है कि विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 15.500 किलोग्राम बरामद कर समरस पंचनामा की कार्यवाही करने के उपरांत दो सैम्पल पैकेट 50–50 ग्राम के

पृथक—पृथक तैयार कर उसे **प्रदर्श ए** एवं **प्रदर्श ए—1** से चिन्हांकित कर उसी दिनांक को मालखाना मोहर्रिर के सुपुर्द किया गया था जिसे मालखाना मोहर्रिर द्वारा मालखाने में सुरक्षित रखकर **दिनांक 25.03.2021** को थाना प्रभारी के निर्देश पर आरक्षक विवेक तिवारी के सुपुर्द किया गया था जिसने उसी तिथि को सैम्पल पैकेट एफएसएल कार्यालय रायपुर परीक्षण हेतु जमा कर पावती प्राप्त कर थाना लाकर जमा किया था।

42—इसी प्रकार प्रकरण में साक्ष्य से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि विवेचना अधिकारी के द्वारा मौके पर जप्तशुदा मादक पदार्थ को जिस सील से सीलबंद किया गया था उसके संबंध में पृथक से नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से तैयार किये गए सैम्पल पैकेट को दिनांक 25.03.2021 को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया था जिसे राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा उसी दिनांक को प्राप्त कर परीक्षण उपरांत इस आशय की रिपोर्ट प्रदान की गई थी कि प्रेषित सैम्पल पैकेट **प्रदर्श ए** एवं **प्रदर्श ए—1** में गांजा के परीक्षण धनात्मक पाए गए तथा सैम्पल पैकेट पर पायी गई सील **RAIPUR CITY KOTWALI C.P.** के सदृश्य पायी गई। इस प्रकार जप्तशुदा

मादक पदार्थ को जप्ती दिनांक से परीक्षण दिनांक तक सुरक्षित रखे जाने के संबंध में स्पष्ट मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

43—विवेचना अधिकारी के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की सूचना प्रतिवेदन नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिटी कोतवाली को प्रेषित किया गया जो **प्रदर्श पी. 31** है। विवेचना अधिकारी की इस कार्यवाही का समर्थन भी **आरक्षक मुकेश कुमार साहू** के द्वारा अपने साक्ष्य में किया जाकर स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि इस मामले के संबंध में अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही की सूचना का प्रतिवेदन लाकर प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में संबंधित आरक्षक को **प्रदर्श पी. 31** की पावती भी प्रदान की गई है। इस प्रकार **विवेचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 57 के प्रावधान का पालन किया जाना भी साबित पाया जाता है।**

44—जहां तक अभियुक्त शोभनाथ केंवट का प्रश्न है तो इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा दोनों ही अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे में थी और अभियुक्त शोभनाथ जिस वाहन को चला रहा था उसी वाहन में अन्य अभियुक्त पवन सिंग

गोंड 15.500 किलोग्राम मादक पदार्थ को एक प्लास्टिक की बोरी में रखकर आ रहा था। अभियुक्त शोभनाथ घटना स्थल से फरार होने का भी प्रयास किया था। अभियुक्त शोभनाथ को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस नहीं दिये जाने पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें अधिनियम की धारा 50 की नोटिस दिया जाना आवश्यक ही नहीं था। अभियुक्त शोभनाथ जिस वाहन को चला रहा था उसी वाहन में मादक पदार्थ गांजा 15.500 किलोग्राम का परिवहन किया जा रहा था ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इस तथ्य का ज्ञान अभियुक्त शोभनाथ को नहीं था तथा न्यायालय के समक्ष यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है कि इस प्रकार अभियुक्त शोभनाथ की भी अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य विद्यमान है।

45—इस प्रकार **विवेचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 42, 50, 52, 55, 57 के आज्ञापक एवं निदेशात्मक प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है।** प्रकरण में इस संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि अभियुक्तगण से विवेचना अधिकारी की पूर्व से कोई रंजिश थी अथवा विवेचना की कार्यवाही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निष्पक्षतापूर्ण नहीं की गई है बल्कि इसके विपरीत अभियुक्तगण

जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा के संबंध में स्पष्टीकरण देने में पूर्णतः असफल रहें हैं। प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा एवं तैयार किये गए सैम्पल पैकेट को प्रभावित करने की कोई परिस्थितियां प्रकरण में विद्यमान नहीं है जिसके कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धारा निश्चयात्मक साक्ष्य से साबित पाया जाता है।

46–अतः प्रकरण में यह तथ्य साबित पाया जाता है कि उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण संयुक्त रूप से अधिनियम के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गए नियम एवं आदेश के उल्लंघन में **मोटर सायकल होण्डा शाईन कमांक एम.पी.54/एम.सी./9550** में कुल **15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा** को विकय करने हेतु अपने कब्जे में रखकर परिवहन किया। परिणामतः **अवधारणीय प्रश्न कमांक 02** पर निष्कर्ष **''साबित''** में दिया जाता है।

47–उपरोक्त साक्ष्य विवेचन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष **अभियुक्तगण पवन सिंग गोंड एवं शोभनाथ केंवट** के विरूद्ध अधिनियम की **धारा–20(b)(ii)(B)** का आरोप **''युक्तियुक्त सन्देह से परे''** साबित करने में पूर्णतः **सफल** रहा है। अतः

अभियुक्तगण **पवन सिंग गोंड एवं शोभनाथ केंवट** को अधिनियम की **धारा–20(b)(ii)(B)** के आरोप में **सिद्धदोष** ठहराया जाता है। अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

48–अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से निवेदन किया गया कि वे पूर्णतः निर्दोष हैं और क्रमशः 30 एवं 32 वर्षीय युवक है तथा मजदूरी का कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। अभियुक्तगण पूर्व में भी अभिरक्षा में निरूद्ध रह चुके हैं, उनके पास से वाणिज्यिक मात्रा से कम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। अभियुक्तगण वर्ष 2021 से विचारण का सामना कर रहे हैं। अतः उनके द्वारा पूर्व में व्यतीत की गयी अवधि के कारावास से ही दंडित करते हुये उन्हें रिहा किया जावे।

49–राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक के द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

50–प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को **अधिनियम की धारा–20(b)(ii)(B)** के आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया है। अभियुक्तगण के आधिपत्य से अल्प मात्रा से अधिक, किन्तु वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया है। अभियुक्तगण के आदतन अपराधी होने या उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अभियुक्तगण वर्तमान में 30 एवं 32 वर्षीय युवक होकर मजदूरी का कार्य कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहें हैं। अभियुक्तगण पूर्व में भी अभिरक्षा में निरूद्ध रहे हैं।

51–अभियुक्तगण को जिस धारा में दोषसिद्ध किया गया है, उसमें न्यूनतम दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है तथा अभियुक्तगण निरंतर 5 वर्षों से विचारण का सामना कर रहें हैं किन्तु उनके द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष न होकर समाज के प्रति भी अपराध है और अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से 15.500 किलोग्राम मादक पदार्थ

गांजा जप्त किया गया है जिसकी मात्रा अत्यधिक है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को इस प्रकार से दंडित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

52–अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों, अभियुक्तगण की उम्र एवं पृष्ठभूमि, विचारण की अवधि एवं अभियुक्तगण से संयुक्त रूप से बरामद की गयी मादक पदार्थ गांजा की मात्रा को देखते हुये अभियुक्तगण **पवन सिंग गोंड एवं शोभनाथ केंवट** को **अधिनियम की धारा–20(b)(ii)(B)** के आरोप में **10–10 वर्ष का कठोर कारावास** एवं **1,00,000–1,00,000 / – (अक्षरी एक–एक लाख रूपये मात्र)** अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर अभियुक्तगण को **06–06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास** पृथक भुगतायी जावे।

53–अभियुक्तगण जमानत पर रिहा है। अतः अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध सजा वारंट तैयार कर उसे सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, रायपुर प्रेषित किया जावे।

54–अभियुक्तगण की अभिरक्षा की अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में व्यतीत की गयी कारावास की अवधि को दी गयी कारावास की अवधि से समायोजित किया जावे।

55–अभियुक्तगण को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया कि इस निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत सीधे जेल से ही माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति के माध्यम से माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

56–अभियोजन एवं अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाकर पावती ली जावे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं अधीक्षक केन्द्रीय जेल, रायपुर को भी निर्णय की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

57–प्रकरण में सैम्पल पैकेट को छोड़कर शेष मादक पदार्थ गांजा को व्ययन कमेटी के द्वारा नियमानुसार नष्ट किया जा चुका है। अतः अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात प्रकरण में सैम्पल

पैकेट को अधिनियम की धारा 52ए के अंतर्गत गठित व्ययन कमेटी को नियमानुसार एवं विधि अनुसार व्ययन करने हेतु प्रेषित किया जावे तथा वाहन **मोटर सायकल हीरो होण्डा शाईन कमांक एम.पी.54/एम.सी./9550 सुनील कुमार केंवट आ. विसंभर केंवट, निवासी ग्राम परासी, जिला उमरिया मध्यप्रदेश** के सुपुर्दनामे पर है जिसका उपयोग घटना में किया गया है, अतः अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उक्त वाहन राजसात के अधीन है जिसके संबंध में पृथक से एम.जे.सी. दर्ज कर संबंधित थाना प्रभारी को वाहन अपनी अभिरक्षा में लेकर राजसात की कार्यवाही के संबंध में न्यायालय को सूचित करते हुए राजसात की कार्यवाही प्रारंभ किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण किया जावे।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

मेरे निदेशन पर टंकित।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा– 428 दं0प्र0सं0

1. अभियुक्त का नाम	: **पवन सिंग गोंड** **उम्र लगभग 30 वर्ष**
2. पिता का नाम	: **श्री सोहन गोंड**
3. पता	: निवासी–ग्राम परासी दुर्गा मंदिर के पास, थाना मानपुर, जिला उमरिया (मध्यप्रदेश)
4. अपराध क्रमांक व धारा	: 76/2021 धारा–20(b)(ii)(B) स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
5. गिरफ्तारी दिनांक	: 23.03.2021
6. पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत अवधि	: निरंक
7. न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि	: 24.03.2021 से 06.08.2021 तक
8. सजा में मुजरा की जाने वाली अवधि	: 24.03.2021 से 06.08.2021 तक

सही/–

दिनांक– 06/08/2026

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0)

निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा– 428 दं0प्र0सं0

1.	अभियुक्त का नाम	: **शोभनाथ केंवट** **उम्र लगभग 32 वर्ष**
2.	पिता का नाम	: **श्री अंशधारी केंवट**
3.	पता	: निवासी–ग्राम परासी दुर्गा मंदिर के पास, थाना मानपुर, जिला उमरिया (मध्यप्रदेश)
4.	अपराध क्रमांक व धारा	: 76/2021 धारा–20(b)(ii)(B) स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
5.	गिरफ्तारी दिनांक	: 23.03.2021
6.	पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत अवधि	: निरंक
7.	न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि	: 24.03.2021 से 06.08.2021 तक
8.	सजा में मुजरा की जाने वाली अवधि	: 24.03.2021 से 06.08.2021 तक

सही/–

दिनांक– 06/08/2026

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0)

सत्यप्रतिलिपि :–
1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती स्वाति शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, रायपुर को प्रेषित।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
जिला–रायपुर (छ0ग0)

True Copy

सही/–
(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)